



भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

वस्त्र आयुक्त कार्यालय,

निष्ठा भवन, न्यू सी.जी.ओ. बिल्डिंग,

48, न्यू मरीन लाइन्स,

मुंबई -400 020

वेबसाइट : <http://www.txcindia.gov.in>

ई-मेल : hindi.txco@gmail.com

सं. 8(2)/2017-18/ व.प.को./रा.भा./48

दिनांक: 28/06/2018.

सेवा में,

सभी संबंधित

विषय : कार्यालय की गृह पत्रिका वस्त्र परिधान के मुद्रण हेतु कोटेशन ।

महोदय,

इस कार्यालय द्वारा एक छमाही गृह पत्रिका वस्त्र परिधान का प्रकाशन किया जाना है। पत्रिका का विवरण निम्नानुसार है:-

1.	पत्रिका का आकार	:	8 1/4" X 11"
2.	कवर पृष्ठ (आगे - पीछे)	:	4 पेज, 4 + 4 कलर, 130 GSM आर्ट पेपर। एक साइड लेमीनेशन के साथ।
3.	अंदर के पृष्ठ	:	40 पृष्ठ, सिंगल कलर, 70 GSM मैपलीतो पेपर।
4.	प्रतियां	:	300 प्रतियां
5.	कोटेशन की वैधता	:	31 मार्च 2019 तक
	पत्रिका के मुद्रण कार्य की अवधि	:	<ul style="list-style-type: none">➤ पहला पूफ 10 दिन में देना होगा तथा दूसरा पूफ 05 कार्य दिवस में देना होगा तथा अंतिम संपूर्ण मुद्रित पत्रिका की डिलीवरी 05 दिन में करनी होगी।➤ अंक मुद्रित होने के बाद मुद्रक को पूरे अंक की सामग्री ई-मेल/पेन-ड्राईव में हमारे कार्यालय को देनी होगी।

«SR»

2/-

अनुरोध है कि वस्त्र परिधान पत्रिका के दो अंक (छमाही) दिए गए विवरण के अनुसार छापने के लिए अपने कोटेशन इस कार्यालय को दिनांक : 10/07/2018 तक अधोहस्ताक्षरी के नाम वस्त्र आयुक्त कार्यालय, निष्ठा भवन, न्यू सी.जी.ओ. बिल्डिंग, 48 न्यू मरीन लाईन्स, मुंबई-400 020 के पते पर सील बंद लिफाफे में अपराह्न 4.00 बजे तक मिल जाने चाहिए। जिस मुद्रक को मुद्रण कार्य दिया जाएगा उस मुद्रक को मुंबई में स्थित अपना राष्ट्रीयकृत बैंक का खाता संख्या तथा IFSC CODE संख्या देना अनिवार्य होगा, जिससे बिल की राशि मुद्रक के खाते में ECS के द्वारा सीधे जमा की जाएगी। अधूरे कोटेशन अवैध माने जाएंगे। उपरोक्त कोटेशन से संबंधित वाद-विवाद मुंबई न्यायालय के अंतर्गत निपटाया जाएगा। कोटेशन से संबंधित सभी शर्तों के संबंध में अंतिम निर्णय कार्यालय प्रमुख वस्त्र आयुक्त का होगा।

भवदीया,



(वैदेही जोशी)

सहायक निदेशक (राजभाषा)

दूरभाष सं. 022-22001050

Ext. 248/270